<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर</u>

प्रकरण सं. दावा / 46 / 2016 दर्ज दिनांकः—28.04.2016

वीरा पुत्री हरचन्द पत्नि बनवारी जाति बावरिया निवासी ग्राम चक घरवारी तह0 व जिला भरतपुर। ....वादिया

बनाम

रोहित सिंह पुत्र फूलसिंह जाति बावरिया निवासी ग्राम रूंध इकरन तह0 व जिला भरतपुर। ....प्रतिवादी

उपस्थितः

भीम सिंह गुर्जर एडवोकेट वादिया अभिभाषक

राजेश पचौरी एडवोकेट प्रतिवादी अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—31.01.2019

पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय भरतपुर के न्यायालय से प्राप्त होने पर पेश हुई। यह पत्रावली न्यायालय द्वारा पत्रावली सं. 37 / 2016 अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वीरा बनाम रोहित सिंह में दिनांक 08.06.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में करने पर उस पत्रावली के साथ भेज दी गई थी। माननीय RAA साहब भरतपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.08.2018 से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रति प्रेषित किया गया है।

इतना लिखने के बाद वादिया वीरा पत्नि बनवारी जाति बावरिया निवासी चक घरवारी तह0 भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है। मेरे द्वारा पूर्व में प्रतिवादी रोहित के पक्ष में जो रिलीज डीड की गई थी वह मान्य रहेगी। अतः उक्त पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहती। अतः दावा Not Press में खारिज किया जावे।

हमने वादिया के वकील को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिया अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहती दावा वादिया Not Press किये जाने पर इसी Stage पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)
सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official